रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: एल40101डीएल1969जीओआई005095

<u>स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियम व शर्तें</u>

कंपनी के आर्टिकल ऑफ असोसिएशन के अनुरूप स्वतंत्र निदेशकों सहित कंपनी के सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। गैर-सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति उन नियम व शर्तों के अधीन है जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ असोसिएशन के अनुरूप समय-समय पर डीपीई द्वारा निर्धारित एवं भारत के राष्ट्रपति द्वारा वैधता प्राप्त हों ।

कंपनी के स्वतंत्र निदेशक, नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से सामान्यतः तीन वर्षों के लिए या अग्रिम आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । कंपनी की बोर्ड/कमेटी की बैठकों में उपस्थित होने पर स्वतंत्र निदेशकों को टीए/डीए के अतिरिक्त सिटिंग शुल्क का भुगतान किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों के लिए सिटिंग शुल्क का निर्धारण आरईसी के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई के दिशा-निर्देशों में दी गई सीमा के दायरे में होता है।

स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम 2013, सेबी विनियमन तथा डीपीई दिशा-निर्देशों के अनरूप बनाए गए विभिन्न कोडों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं जैसे कि बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए व्यवसाय आचरण एवं आचार संहिता, आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए कोड आदि का पालन करना होता है |कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में जारी किए गए आदेशों की प्रतियां नीचे दी गई हैं: -

- <u>आदेश सं.46/2/2010-आरई-वॉल्यू.II (भाग-IV) दिनांक 13 नवंबर, 2015</u>